न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 87/15 **निर्णय दिनांकः 10.09.2018**

1. हरिराम पुत्र पाबूराम जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
2. सुभाष पुत्र बागाराम जाति बिश्नोई निवासी रणजीतपुरा।
3. मोहनलाल पुत्र चोखाराम जाति बिश्नोई निवासी रणजीतपुरा

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 88/15

1. हरिराम पुत्र पाबूराम जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. सुभाष पुत्र बागाराम जाति बिश्नोई निवासी रणजीतपुरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।

रेस्पोडेन्ट्स

3. अपील संख्या 90/15

1. हरिराम पुत्र पाबूराम जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. मोहनलाल पुत्र चोखाराम जाति बिश्नोई निवासी रणजीतपुरा
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–06–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–06–2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण तीनों अपीलों को एक निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा चक 9 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 199/13 के विशेष आवंटन हेतु वर्ष 2007 में आवंटन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट को समान वरियता से बाहर करते हुए रेस्पोडेन्ट सुभाष व मोहनलाल को समान वरियता मानकर सील बिड् हेतु रखी गई।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के धारण की भूमि व अन्य दस्तावेजों का कतई अवलोकन नहीं किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट मोहनलाल के धारण में पूर्व में ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। रेस्पोडेन्ट मोहनलाल के स्वयं के न ाम चक 7 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 162/42 में 25 बीघा कमाण्ड भूमि मोहरबन्द बोली में आवंटन है। जिसका इंतकाल संख्या 32 दिनांक 18—01—2008 तस्दीक है इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट मोहनलाल की पत्नी के नाम चक 3 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 177/62 में 1 ता 25 में 1/2 हिस्सा यानि 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहरबन्द आवंटन है। इसके अतिरिक्त चक 9 आरडीवाई में माता धुड़ी पत्नी चोखाराम के नाम भूमि आवंटित है। इसी प्रकार दादा की 144 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट मोहनलाल को लगभग 10.12 बीघा भूमि हिस्से में प्राप्त होती हैं इस प्रकार कुल मिला कर रेस्पोडेन्ट के पास 50.33 बीघा भूमि निहित होती है जो सिलिंग सीमा तक हैं अब यदि रेस्पोडेन्ट मोहनलाल को उक्त भूमि अर्थात मुरब्बा नम्बर 199/12 की 23.08 बीघा भूमि आवंटित की जाती है तो रेस्पोडेन्ट के धारण में 65.70 बीघा भूमि हो जाती है जोकि सिलिंग सीमा से अधिक होती है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट मोहनलाल द्वारा अपने धारण की भूमि छिपाते हुए अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा कतई गौर नहीं किया गया ना ही अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहनलाल के धारण की भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है।

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अन्य अपील में बहस करते रेस्पोडेन्ट सुभाष द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी जन्म दिनांक व अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सुभाष पुत्र बागाराम द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2007 में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त वर्ष में अपीलांट की आयु जन्म दिनांक 18—03—1991 से करीब 16 वर्ष होती हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को व्यस्क श्रेणी में नहीं आने से आवंटन का पात्र नहीं था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य तक कतई गौर नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में चक 9 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 199/13 की भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे।

अदालत मातहत द्वारा सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए नियमानुसार उनके धारण की भूमि की समीक्षा करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि वादगत् भूमि चक 9 आरडीवाई ग्राम रणजीतपुरा में होने तथा अपीलांट/प्रार्थी ग्राम गोडू का निवासी होने से समान वरियता से बाहर होने के आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलांट अन्य गावं का निवासी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती है। रेस्पोडेन्ट के धारण में अधिक भूमि है अथवा नहीं? रेस्पोडेन्ट

आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को व्यस्क अथवा आवंटन का पात्र था अथवा नहीं? यह सभी तथ्य अदालत मातहत द्वारा देखे जाने थे।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र इस आधार पर माना गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स उसी ग्राम के होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट्स अर्थात दो आवेदकों के मध्य समान वरियता में सील्ड बिड से भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा पत्रावली को आगामी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में निर्णित करने हेतु रखा गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को वादगत् भूमि का आवंटन नहीं किया गया है वरन् वादगत् भूमि के आवंटन का मात्र पात्र धोषित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय स्वमेव पूर्ण निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसी अपूर्ण निर्णय की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के एक अपूर्ण निर्णय की अपील प्रस्तुत की गई। जिसका कतई अधिकार अपीलांट को हासिल नहीं होता है।

प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट्स के धारण की भूमि अथवा जन्म तिथि की जॉच आदि का विषय है उक्त तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा दौरने आवंटन की जा सकती है। अपीलांट द्वारा मात्र कयासों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती है क्योंकि अपीलांट अन्य गावं का निवासी है। इस संबंध में विशेष आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी उसी गांव का निवासी होना अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादगत् भूमि चक 9 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 199/13 की भूमि ग्राम रणजीतपुरा में स्थित होने व अपीलांट ग्राम गोडू का निवासी होने से अन्यत्र गांव का निवासी होने के कारण खारिज किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्रों की जॉच किये जाने पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अन्य तहसील का निवासी होने के कारण खारिज करते हुए शेष आवेदकों अर्थात रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 को समान वरियता में सील्ड बिड आवंटन हेतु प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने–अपने आवंटन प्रार्थना पत्रों में क्रमशः धारण की भूमि व मिथ्या जन्म दिनांक को अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहनलाल के धारण की भूमि की प्रति प्रस्तुत की गई है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट मोहनलाल के स्वयं के नाम **चक 7 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 162/42 में 25 बीघा कमाण्ड भूमि मोहरबन्द बोली में आवंटन है। जिसका इंतकाल संख्या 32 दिनांक 18–01–2008 दर्जशुदा है। इसी क्रम में रेस्पोडेन्ट मोहनलाल की पत्नी के नाम चक 3 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 177/62 में 1 ता 25 में 1/2 हिस्सा यानि 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहरबन्द आवंटन है। इसके अतिरिक्त चक 9 आरडीवाई में माता धुड़ी पत्नी चोखाराम के नाम भूमि आवंटित है। इसी प्रकार दादा की 144 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट मोहनलाल को लगभग 10.12 बीघा भूमि हिस्से में प्राप्त होती हैं इस प्रकार कुल मिला कर रेस्पोडेन्ट के पास 50.33 बीघा** भूमि निहित

होती है जो सिलिंग सीमा तक है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 18—06—2010 में रेस्पोडेन्ट मोहनलाल के धारण में 4 बीघा कमाण्ड से कम भूमि दर्शाते हुए वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वरियता में माना गया है।

(4) प्रकरण में इसी प्रकार अभिभाषक अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अवगत कराया गया है कि रेस्पोडेन्ट सुभाष द्वारा ने भी अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है तथा अपने आवेदन पत्र में कम भूमि अंकित की गई है। **वास्तव में अपीलांट को चक 2 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 194/36 में 16 बीघा कमाण्ड व 9 बीघा अकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि आवंटित है। इसी प्रकार अभिभाषक अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह साबित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट सुभाष द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी जन्म दिनांक को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण की दिनांक को रेस्पोडेन्ट सुभाष अवयस्क था क्योंकि रेस्पोडेन्ट सुभाष की रिकार्ड के अनुसार जन्म दिनांक 18—03—1991 अंकित है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सुभाष आवंटन प्रार्थना प्रस्तुत करते समय अवयस्क होते हुए मात्र 16 वर्ष का होना प्रमाणित होता है।**

इस प्रकार दोनों ही रेस्पोडेन्ट क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। **प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने—अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है। इस प्रकार दोनों ही पक्षकारों द्वारा Concealment of facts किया गया है।**

(5) प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स का कथन प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती है क्योंकि अपीलांट अन्य गावं का निवासी है। इस संबंध में विशेष आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी उसी गांव का निवासी होना अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट्स स्वमेव द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अदालत मातहत के समक्ष

अपने—अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स भी वादगत् भूमि के आंवटन के पात्र नहीं माने जा सकते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 18—06—2010 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर